

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 44/2012

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 भंवरसिंह पुत्र लादाजी	1 हजारी पुत्र अमरींगजी जाति	
2 छोगसिंह पुत्र लादाजी जाति	पुरोहित निवासी नेतरा तहसील	
राजपुरोहित निवासी नेतरा	सुमेरपुर जिला पाली	
तहसील सुमेरपुर	2 मोहब्बतसिंह पुत्र लादाजी जाति	
	राजपुरोहित निवासी नेतरा तहसील	
	सुमेरपुर जिला पाली	
	3 भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर	

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

1. श्री किशोरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक : 17/5/2018

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 263/2008 हजारी बनाम भंवरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.04.2010 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।


विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र के संलग्न नक्शे अनुरूप आधे हिस्से पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं का कब्जा होना बताया तथा शेष 1/2 हिस्से पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कब्जा काश्त होना जाहिर किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में जो सम्मन जारी किए गए, वे अपीलाण्ट से तामील ही नहीं हुए। अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 आपस में भाई है तथा पारिवारिक मनमुटाव के कारण इनकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बोलचाल बन्द है, जिसका नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से रेस्पोडेन्ट संख्या

1 द्वारा अपीलाण्ट्स के नाम जारी सम्मन की तामील रेस्पोजेन्ट संख्या 2 से करवा दी, जो पूर्णतया निराधार है। उक्त तामील की अपीलाण्ट को जानकारी ही नहीं थी। इस कारण वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। इसके पश्चात न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोजेन्ट्स संख्या 2 पृथक पृथक निवास करते हैं। इस कारण जो तामील करवाई गई है, वह सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, उसमें प्रथमतः तो यह कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा दूसरी ओर यह कथन किया कि वाद के साथ संलग्न नक्शे अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त है, इसी अनुरूप विभाजन किया जावे। उक्त दोनों ही तथ्य परस्पर विरोधाभाषी हैं। इस कारण रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किये जाने योग्य नहीं था। जैर अपील वादस्थ भूमि का न तो भौतिक रूप से विभाजन हुआ है तथा न ही पक्षकारान् अपने अपने हिस्से मुजब काबिज काश्त है। अपीलाण्ट आज भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन हेतु तैयार है, किन्तु वादी/रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा भूमि पूर्व में विभाजित होना बताकर, उसी अनुरूप अनुतोष चाहा है, जो विधि विरुद्ध है। कानूनन विभाजन के मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार स्तर से पक्षकारान को नोटिस देते हुए उनकी उपस्थिति में माप व सीमांकन कर प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना आज्ञापक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, वह पटवारी द्वारा तैयार की गई है, जो विधि विरुद्ध है। पटवारी इस रिपोर्ट को तैयार करने हेतु प्राधिकृत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों को अनदेखा करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जावे। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 2003 पेज 504, आर0आर0टी0 2011 (1) पेज 640, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 610, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 689, आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 817, आर0आर0डी0 2005 पेज 627, आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 473, आर0आर0टी0 1999 पेज 11, आर0आर0डी0 1998 पेज 319, आर0आर0टी0 2008 (2) पेज 1183, आर0आर0टी0 2008 (2) पेज 1406, आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 711 तथा आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 727 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट्स ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें कथन किया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि के विभाजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा पश्चातवर्ती क्रम में एकपक्षीय साक्ष्य के आधार पर जैर अपील प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित की गई तथा भूमि के बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विभाजन के आदेश पारित किए गए। प्रकरण में रेस्पोजेन्ट संख्या 2 की मृत्यु दिनांक 20.03.2014 को हो चुकी है तथा अपीलाइंट द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के का0मु0 को रेकॉर्ड पर लेने हेतु निर्धारित समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, इस कारण अपील एबेट हो चुकी है। अपीलाइंट की मुख्य आपत्ति यह रही है कि जो सम्मन जारी हुए, वे उनसे तामील नहीं हुए है। वास्तविक स्थिति यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अपीलाइंट एवं रेस्पोजेन्ट के मध्य जैर अपील वादस्थ भूमि के विभाजन बाबत कई बार वार्ता हुई एवं एक बार राजस्व कैम्प में भी विभाजन करने का निवेदन किया, जो किसी कारणवश नहीं हो सका। जिस पर अपीलाइंट द्वारा ही रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को कहा गया कि दावा कर लो, न्यायालय से बंटवाडा हो जायेगा। अपीलाइंट द्वारा यह गलत आपत्ति दर्शाई गई है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 2 से उनकी बोलचाल नहीं है, वास्तविकता में अधीनस्थ न्यायालय के वाद की अपीलाइंट को पूर्ण जानकारी थी तथा अपीलाइंट ने नोटिस तामील करने के दिवस ही प्राप्त कर लिये थे, किन्तु जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित आज्ञापक नियमों की पालना करते हुए तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की, तहसीलदार, पटवारी एवं भू0अ0नि0 ने मौके पर जाकर नाप चौक किया एवं उसके पश्चात विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया। किसी भी पक्षकार को उसके हिस्से से अधिक अथवा कम भूमि नहीं दी गई है। सभी पक्षकारान को उनके हिस्से अनुसार समान भूमि प्रदान की गई है, इस कारण अपीलाइंट की आपत्ति विधिक दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है। अपीलाइंट जिस स्थान पर काबिज है, उसे वही हिस्सा दिया गया है। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलाइंट द्वारा रेस्पोजेन्ट को हैरान व परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की है। अपीलाइंट द्वारा पूर्णतः निराधार एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2014-2015 (स्पलीमेन्ट्री) पेज 142, डब्ल्यू0एलएन0 2012 (2) पेज 194, डब्ल्यू0एल0एन0 2013(1) पेज 131, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 711, आर0आर0टी0 1994 पेज 697, ए0आई0आर0 1999 पेज 248, डी0एन0जे0 2000 पेज 165, आर0आर0डी0 1994 पेज 25, डब्ल्यू0एल0एन0 2013 (3) पेज 6, आर0आर0डी0 1998 पेज 695, आर0आर0डी0 2009 पेज 150, आर0आर0डी0 2007 पेज 311, आर0आर0डी0 2016 पेज 1, डी0एन0जे0 (राज.) 1999 पेज 319, आर0एल0डब्ल्यू0 2014 (1) पेज 50, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 117, आर0जे0टी0 2015 (2) पेज 1273, आर0जे0टी0 2015 (1) पेज 342, आर0जे0टी0 2015 (1) पेज 378, डब्ल्यू0एल0एन0 2013 (3) पेज 516, डी0एन0जे0 (एस.सी.) 2017 पेज 373, डी0एन0जे0 2014 (3)1869, डब्ल्यू0एल0एन0 2012 पेज 542, डब्ल्यू0एल0एन0 2012 (2) पेज 566, आर0एल0डब्ल्यू0 2014 (2) पेज 1260, आर0एल0डब्ल्यू0 2014 (2) पेज 1293, आर0आर0टी0 2016 (2) पेज 1091, आर0आर0टी0 2016 (2) पेज 1110,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली



आर0आर0टी0 2016 (2) पेज 1381, आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 251, डी0एन0जे0 1995 पेज 519 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट का मुख्य आधार यह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सम्मन जारी किए गए, वे अपीलाण्ट से तामील ही नहीं हुए हैं, जिसके कारण अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु कोई जानकारी नहीं थी। अतः अपीलाण्ट के विरुद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करने के पश्चात अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 2 को जरिये सम्मन तलब करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में जो सम्मन जारी किया गया, वह रेस्पोजेन्ट संख्या 2 से तामील करवाया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 15 – जहाँ तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के व्यस्क सदस्य पर की जा सकेगी — जहां किसी वाद में प्रतिवादी अपने निवास स्थान में उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नहीं है, और समन की तामील का उसकी ओर से प्रतिग्रहण करने के लिये सशक्त उसका कोई अभिकर्ता नहीं हैं, वहा समन की तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के ऐसे किसी वयस्क सदस्य पर, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष; की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा हो। प्रकरण में जारी सम्मन रेस्पोजेन्ट संख्या 2 से तामील करवाया गया है, जो अपीलाण्ट्स के भाई होने के नाते तामील किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा यह आधार लिया गया है कि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के बोलचाल नहीं है। उक्त तथ्य आधारहीन प्रतीत होता है, जो मात्र अपील प्रस्तुत करने हेतु तथाकथित Ground है, जिस पर सम्पूर्ण अपील आधारित है। इस तथ्य पर विश्वास करने का ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है, जो अपीलाण्ट के कथनों की ताईद करता हो, उक्त तथ्य सत्य से परे प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में RRT 2014-15 (Supp.) page no. 142 Rajasthan tenancy Act, 1955-Sec. 53 Suit for partition decreed ex-parte-Final decree passed-RAA dismissed the appeal –Defendants remained absent deliberately & negligently-Preliminary decree passed rightly-Held, judgments passed by the Court below are affirmed. उक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता है। हालांकि विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 610 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि “राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955—धारा 53 व 188 विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा—वाद डिक्री किया गया—एकपक्षीय आदेश अपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया। वादी ने मोके पर आपसी बंटवाडा होना स्वीकार किया—विभाजन प्रस्ताव तलब करने के पूर्व सभी पक्षकारों को नोटिस आवश्यक था—निर्णीत, आदेश अपास्त किया एवं प्रकरण प्रतिप्रेषित किया।” इस प्रकरण में



राजस्थान अपील प्राधिकारी
माली

अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एकतरफा कार्यवाही अपास्त कराने हेतु चाराजोही की गई है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए वाद को डिक्री किया गया है, जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने का कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित ही नहीं किया, जो इस तथ्य को प्रकट करता है कि वे प्रकरण को मात्र विलम्बित करना चाहते हैं तथा कूनन की आड में अन्य सह खातेदार की खातेदारी संक्रियाएँ प्रभावित करना चाहते हैं, जो विधिक दृष्टिकोण से अनुचित है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी पक्ष के गवाहों को मुख्य परीक्षण में परीक्षित करने के पश्चात दिनांक 15.04.2010 को तहसीलदार सुमेरपुर को विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा जरिये पत्रांक/राजस्व/10/843 दिनांक 20.09.2010 के जरिये विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया, जिस पर जैर अपील आदेश पारित किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा वकील अपीलाण्ट द्वारा इन कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 689 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया, जिसमें यह व्यवस्था प्रदान की गई है कि " भूमि के विभाजन के लिये प्रस्ताव का तहसीलदार द्वारा तैयार करना क्या आज्ञापक है अथवा वह शक्ति डेलीगेट कर सकता है—निर्णीत, नियम 18 से 21 आज्ञापक प्रकृति के हैं एवं तहसीलदार स्वयं को मौका निरीक्षण करना तथा प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 817 में प्रतिपादित किया कि " विभाजन हेतु वाद—तहसीलदार द्वारा सभी पक्षकारों की उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार नहीं की—तहसीलदार को मौके पर जाना चाहिये था—उठाई गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया—निर्णीत, आदेश अपास्त किया तथा मामला पुनः निर्णीत करने हेतु राजस्व अपील अधिकारी को निर्देश दिया।" इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि तहसीलदार द्वारा मौका एवं रेकॉर्ड की जांच कर बाद सन्तुष्टी अपने त्रांक/राजस्व/10/843 दिनांक 20.09.2010 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें समस्त खातेदारान् का पृथक पृथक खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण करते हुए विभाजन किया जाना प्रस्तावित किया है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा उक्त नियमों की अवहेलना किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। इस प्रकार यदि गुणावगुण पर देखा जाए, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में ऐसी कोई विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है, जिसके कारण अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश को अपास्त किया जाना आवश्यक हो। अब द्वितीय तथ्य यह प्रकट होता है कि जैर अपील आदेश दिनांक



राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर

12.04.2010 को पारित किया गया है तथा हस्तगत अपील दिनांक 11.06.2012 को प्रस्तुत की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की अनुसूची तृतीय के पार्ट III के अनुसार अपील की अवधि डिक्री पारित होने की दिनांक से 60 दिवस प्रावधित है। इस बिन्दु का अपने पक्ष में निर्धारित कराने हेतु उभयपक्ष के अभिभाषण द्वारा पृथक पृथक नजीरें प्रस्तुत की। इस बिन्दु के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों के पृथक पृथक मत है। इस सम्बन्ध में आर0एल0डब्ल्यू 1951 पेज 303 नौरतनमल बनाम हरिसिंह में प्रतिपादित किया कि "Limitation Act. S. 5-- Delay in filing appeal--Each day's delay after due date must be satisfactorily explained. It is the duty of an applicant, praying for indulgence under s 5 to explain each day's delay satisfactorily and if he fail to do so he cannot get the benefit of s. 5" इसी प्रकार आर0आर0डी0 1970 पेज 542 आर्य समाज शिक्षण संस्था, अजमेर बनाम श्री आदित्य नारायण में प्रतिपादित किया कि "Each day's delay from expiry of limitation held, not explained in compliance of provision of Sec. 5 - Collector acted illegally and with material irregularity in condoning delay on unwarranted and unjustified grounds-- Discretion to condone delay to be exercised judicially -- Sufficient reason explaining each day's delay must exist before exercise of such a discretion" आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 939 डी0 गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963-धारा -विलम्ब का उपशमन- अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब- उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नहीं किया - सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नहीं कर सकता - असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नहीं दिये गये - निर्णीत, आदेश संभवनीय नहीं है व अपास्त किया।" इसी प्रकार 2012(12) Weekly Law Notes 16 page 194 में प्रतिपादित किया कि (A) Civil Procedure Code, 1908 -Order 5 Rule 15- Service of Summons-Adult member of the family-Defendant absent when summons sought to be served- Service can be effected on the father of the defendant. (B) Civil Procedure Code, 1908- Order 9 Rule 13-Summons not duly served-Defendant absent when service of summons was sought to be effected- Father of defendant refused to accept the summon the same was affixed on the premises-Appellant not examining his father to prove that summon had not been refused by him-Application to set aside ex-parte decree rightly rejected by trial Court. इसी प्रकार 2016(3)CJ(Civ.)(Raj.) page 1406 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963-Sec. 14-Earlier suit was related in regard to properties of firm which was claimed on the ground of award passed by arbitrators-Subsequent suit has been filed for partition of properties of firm-Both the proceedings are same and one.

Limitation Act, 1963-Sec. 14-Scopc-Party who invokes the Section, should not be guilty of negligence, lapse or inaction-Further, there should be no pretended mistake intentionally made with a view to delaying the proceedings or harassing the opposite party. इसी प्रकार RRT 2017(1) Jitendra singh (Dr.) vs. Nirvan Charitable Trust page 711 में प्रतिपादित किया कि Litigant should be vigilant enough & should keep himself informed about the pending proceedings. इसी प्रकार RRD 1994 Page



h
राजस्थान हाईकोर्ट प्राधिकारण
पाली

697 में प्रतिपादित किया कि (A) Limitation Act, Section 5-Appellant's plea of lack of knowledge of impugned order, not substantiated by record-Condonation of delay refused and appeal dismissed as time bared. (Paras 3-4) (B) Affidavit-Appellant found to have filed false affidavit for obtaining stay order-Board directed prosecution of appellant for submitting false affidavit deliberately knowing full well that it was false. (Para 5) . इसी प्रकार RRD 1994 page 25 में प्रतिपादित किया कि (A) Limitation Act, Section 5 – Application for condonation of delay did not contain any material explaining delay-Collector also not considering whether there was satisfactory explanation-Condonation of delay was not proper Mere fact of submission of application did not justify condonation. (B) Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Receptacles) Rules, Rule 4-Land recorded as Banjar-Mention of word "talai" in column not explained allotment of talai is not prohibited by the rules. इसी प्रकार 2013(3) Weekly Law Notes 68 6(SC) में प्रतिपादित किया कि (A) Limitation Act, 1963-Sec. 5-Sufficient Cause-Construction-term should be considered with pragmatism in Justice oriented approach rather than technically insisting to explain delay of every day-Delay in Official Business requires its pedantic approach from Public Justice perspective.

(B) Limitation Act, 1963, -Dec, 5- Sufficient Cause-Appellant obtaining decree for permanent injunction against Respondent State in 1969 Execution applied in 2009-Objection of the Respondent under Sec. 47 CPC rejected-on 17-08-2010-Respondent filed another objection on 15-09-2011 for recall of attachment-Objection dismissed on 15-09-2011-Revision filed before District Judge against order dated 17-08-2010-District Judge condoned the Delay and High Court agreed with the same-Held, No sufficient cause made out merely because respondent is the State the delay cannot be condoned- Delay in filing execution case cannot be a Ground to condone the delay in filing Revision. इसी प्रकार 2014(4) RLW Page 3173 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963, Sec. 5_ Condonation of delay- Appeal against rejection of suit for specific performance filed after delay of 1916 days i.e. about 5-1/4 Years- the ground is lack of communication with the lawyer- Held- The assertions appear to be incorrect_ they do not evoke confidence- it clearly reflects negligence lack of action diligently and inactivity on the part of appellants in not contacting their lawyer for such a long period – No case of condonation of delay is made out in absence of affidavit of lawyer in their support. इसी प्रकार RRD 1988 page 695 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, Section 5 Mere assertion of remissness on part of Advocate, without support of affidavit from Advocate cannot be relied upon for extending limitation. इसी प्रकार RRD 14.03.09 page 150 में प्रतिपादित किया कि Rajasthan Tenancy Act, Sections 88, 89- Limitation Act, Section 5 Appeal against order of R.A.A.- Held, appeal filed on behalf of Govt. beyond the period of limitation of 90 days- Tehsildar in his affidavit has attested serial No. 1 and 2 only and has said nothing about the reasons mentioned in serial Nos. 3 & 4 in the application – No reasons have been given about the delay of three years under the circumstances appeal is hopelessly time barred and delay of three years cannot be condoned and considered on merits-Order of R.A.A. confirmed. इसी प्रकार RRD May, 2007 page



d
राजस्थान अपील प्राधिकारी
पाली

311 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, Section 5-C.P.C., Section 100-Delay in filing second appeal-Judgment passed by first appellate court on 16.08.2003-Appeal filed by appellant on 19.12.2003 claiming knowledge of judgment on 07.12.2003 No explanation given for not filing appeal immediately-Held, appellant was taking the matter leisurely and at his own convenience-Delay, not condoned. DNJ (Raj.) 1999 page 134 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963-Sec-5 Condonation of delay-Delay of 83 days in filing appeal- Objection that appellant was not duly represented in trial Court in unfounded- Sufficient cause for condonation of delay not shown- File requires to be routed from so many channels is no sufficient cause-Held Appeal is time barred & dismissed. DNJ(Raj.) 1999 page 319 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act 1963 Sec. 5- Motor Vehicle Act, 1988-Sec. 173- Delay of 47 Days in filing appeal-Delay not properly explained- officer of Regional Office did not care to take prompt action in the matter of filling appeal-Complex procedure for routing of the file through many officers is not a sufficient cause to defeat the purpose-Held, Delay is fatal & appeal dismissed as time barred. इसी प्रकार RLW-pf56 21.12.2013 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act,1963, Sec. 5- Application for condonation of delay in filing intra court appeal- Appeal filed after 9 years, 11 months and 14 days of the expiry of period of limitation- Alleged mistake of the Advocate Held- Delay has not been properly explained- No sufficient cause for condonation of delay- Application dismisses. इसी प्रकार RRT 127 page 117 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963 Sec. 5 Code of civil Procedure, 1908-Sec.100-Condonation of delay-Delay of 2344 days in filing appeal-In action or indolence on the part of the litigant- Liberal approach cannot be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay-Held, Application & appeal are liable to be dismissed. इसी प्रकार RJt 2015(2) page 1273 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963-sec. 5-Code of Civil Procedure, 1908- Order 47, Rule 1- Condonation of delay-Delay of 2327 days in filing review petition-Writ petition decided on 24.04.2007 in presence of the counsel-When the petitioner enquired about the status of the writ non explained condonation of delay is not entertainable&dismissed. इसी प्रकार RJT 2015(1) page 342 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963-Sec. 5-0 code of Civil Procedure, 1908-Sec. 96- Delay of more than three years in filing appeal-Notice of execution of decree served upon the petitioner on 06.01.2012& submitted the reply on 17.04.2012 False averment made in the application that the fact of passing of decree come into knowledge on 17.09.2013-Held, Court below has not committed any illegality or material irregularity in rejection the application. उपरोक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते हैं। अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नहीं किया है, जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि अपीलाण्ट को जैर अपील प्रकरण एवं निर्णय की जानकारी नहीं रही हो तथा उक्त कारण के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जा सके। इस कारण प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने के कारण-सुनवाई योग्य नहीं है।




d
राजस्थान अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत सुनवाई से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है। जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट मियाद बाहर होने तथा गुणावगुण पर भी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 263/2008 हजारी बनाम भंवरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.04.2010 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर का मूल रेकॉर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 17-5-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. बजरसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली